250 निवेशकों से 9 करोड़ की ठगी के आरोपी को उम्रकैद, 1.80 करोड़ जुर्माना

भास्कर न्यूज | रायगढ़

निवेशकों को प्रतिमाह 30 प्रतिशत रिटर्न और एक वर्ष बाद पूरी राशि वापस करने का आश्वासन देकर लगभग 250 लोगों से 9 करोड़ 28 लाख की ठगी करने के मामले में विशेष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार जैन ने रोशनी फाउंडेशन के संचालक नारायण मानिकपुरी को आजीवन कारावास और 1 करोड़ 80 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर उसे 9 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अन्य आरोपियों को भी अलग-अलग सजा सुनाई गई है। 27 जनवरी 2024 को अर्जुन लाल जांगड़े और 27 अन्य निवेशकों ने सरसींवा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि सेमरिया गांव में नारायण मानिकपुरी ने अपने कार्यालय में बुलाकर रोशनी फाउंडेशन के बारे में जानकारी दी और निवेश करने पर प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि देने की बात कही। शिकायतकर्ता ने दो बार में कुल 11 लाख रुपए चेक के माध्यम से दिए। समय पूरा होने पर जब राशि वापस मांगी गई तो उन्हें पैसा नहीं दिया गया। जांच में सामने आया कि कई अन्य लोगों से भी इसी तरह रुपए लिए गए थे।